

जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन

प्रिलिम्स के लिये

अनुराधा भसीन बनाम भारत सरकार वाद

मेन्स के लिये

इंटरनेट शटडाउन से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

नवगठित जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली की अपील को खारजि करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि क्षेत्र विशेष की 'विशेष परिस्थितियों' के मद्देनजर आवश्यक है कि 'राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं' और 'मानवाधिकारों' के मध्य यथोचित संतुलन स्थापित किया जाए।

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि 'विदेशी ताकतों सीमाओं पर घुसपैठ करने और राष्ट्र की अखंडता को अस्थिर करने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसके कारण मानवाधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।'
- इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस संबंध में सभी मुद्दों की जाँच करने के लिये एक 'विशेष समिति' का गठन करने का भी आदेश दिया है।

पृष्ठभूमि

- उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के कई संस्थानों ने प्रदेश में 4G इंटरनेट के अभाव में प्रभावी ढंग से कार्य करने में आ रही समस्याओं के मद्देनजर न्यायालय में याचिका दायर की थी।
- एक याचिकाकर्ता 'फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स' के अनुसार, डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और मीडियाकर्मियों के लिये 4G इंटरनेट स्पीड के अभाव में सही ढंग से कार्य करना अपेक्षाकृत काफी मुश्किल हो रहा है।
- याचिकाकर्ता के अनुसार, जब इस संबंध में याचिका दायर की गई थी, तो प्रदेश में कोरोनावायरस (COVID-19) संक्रमण के मात्र 33 मामले थे, कति अब COVID-19 संक्रमण के मामले 700 से भी पार जा चुके हैं।
- 'फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स' के अनुसार, COVID-19 से संबंधित नवीनतम अपडेट प्राप्त करने और रोगियों को ऑनलाइन परामर्श देने में उच्च स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता होती है, कति 4G इंटरनेट के अभाव में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है।
- एक अन्य याचिकाकर्ता के रूप में 'J&K प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन' ने कहा कि प्रदेश में 4G इंटरनेट पर प्रतिबंध के कारण बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा काफी हद तक प्रभावित हो रही है।
- याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस प्रकार के प्रतिबंधों से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुराधा भसीन बनाम भारत सरकार मामले में दिये गए तर्कशीलता और आनुपातिकता के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है।

अनुराधा भसीन बनाम भारत सरकार

- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने बीते वर्ष अगस्त माह में अनुच्छेद 370 को नरिस्त कर दिया था और इसी के साथ राज्य का विभाजन दो केंद्रशासित क्षेत्रों- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में कर दिया गया था।
- इसके पश्चात् जम्मू-कश्मीर में तकरीबन 5 महीनों तक इंटरनेट ब्लैक आउट देखा गया अर्थात् इस अवधि में जम्मू-कश्मीर के नागरिकों की इंटरनेट तक पहुँच नहीं थी।
- अनुच्छेद 370 की समाप्ति के तकरीबन 5 महीने बाद अनुराधा भसीन बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिये 2G इंटरनेट को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया।
- इस मामले की सुनवाई में न्यायालय ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट के अनिश्चितकालीन नलिंबन 'की अनुमति नहीं है और इंटरनेट पर प्रतिबंध

लगाते समय अनुच्छेद 19(2) के तहत आनुपातिकता के सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक है।

वर्षीष समतलर का गठन

- जस्टस एन. वी. रमना, जस्टस सूर्यकांत और जस्टस बी. आर. गवई की न्यायपीठ ने केंद्रीय गृह सचव की अध्यक्षता में एक वर्षीष समतलर के गठन का आदेश दया, जो क जममू-कश्मीर में 2G मोबाइल इंटरनेट के परतबिंध के वसुतार की जाँच करेगी।
- उल्लेखनीय है क इस समतलर में संचार वभाग के सचव और जममू-कश्मीर के मुख्य सचव भी शामिल होंगे।
- न्यायालय ने समतलर से कहा क वह याचकाकर्त्ताओं और उत्तरदाताओं द्वारा परसुत कय गए वभिन्न तरकों और उपलब्ध कराई गई वभिन्न सामग्रयों की जाँच करे।
- इसके अतरकृत समतलर को याचकाकर्त्ताओं द्वारा सुझाए गए वैकल्पक उपायों की समीक्षा करने का कार्य भी सौंपा गया है।
 - उल्लेखनीय है क याचकाकर्त्ताओं ने सुझाव दया था क उन क्षेत्रों में, जहाँ आवश्यक है, इंटरनेट पर परतबिंधों को सीमति कर दया जाए और कुछ क्षेत्रों में परीक्षण के आधार पर उच्च स्पीड इंटरनेट (जैसे 3G और 4G) की अनुमति दी जाए।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/internet-shutdown-in-jammu-and-kashmir>

